निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**31 ज्येष्ठ 1944 (श0)**

**(सं0 पटना 388) पटना, मंगलवार, 21 जून 2022**

सं० पर्य०यो०(रा०)–16 / 2012–1402 / प०वि०,

**पर्यटन विभाग**

---

**संकल्प**

8 जून 2022

**विषयः–** **राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु मार्गीय सुविधा** (Wayside Amenities- WSA) **आदि के उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना 2022 की स्वीकृति।**

पर्यटकीय सम्पदाओं से समृद्ध बिहार राज्य में विभिन्न पर्यटन परिपथों पर आधारभूत संरचनागत एवं जन सुविधाओं के विकास कार्य के कारण पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। जहाँ वर्ष 2015 में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः करीब 2.80 करोड़ एवं 9.24 लाख थी, वहीं वर्ष 2019 में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर क्रमशः करीब 3.40 करोड़ एवं 11 लाख हो गई है। पर्यटकों के आगमन को देखते हुए यात्रा के दौरान उनके सुखद एवं मंगलमय परिभ्रमण हेतु राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु मार्गीय सुविधाओं **(Wayside Amenities-WSA)** को विकसित किया जाना आवश्यक है।

- इसके निमित्त मार्गीय सुविधाओं का विकास निम्नांकित मॉडल के अनुरूप किया जायेगाः–

(i) **प्रीमियम मार्गीय सुविधा** – यह मॉडल चयनित मार्गों पर करीब 50 कि०मी० पर विकसित करने के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। दो प्रीमियम मार्गीय सुविधाओं के बीच की दूरी न्यूनतम 50 कि०मी० होनी चाहिए। प्रीमियम मार्गीय सुविधा का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 15,000 वर्गफुट होना चाहिए। इस हेतु करीब 1.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी।

(ii) **स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा** –राज्य के चयनित मार्गों पर करीब 30 कि०मी० पर स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा मॉडल विकसित करने के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। दो स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 30 कि०मी० होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 10,000 वर्गफुट होना चाहिए। यह सुविधा करीब 1.00 एकड़ भूमि पर स्थापित की जायेगी।

(iii) **बेसिक मार्गीय सुविधा** –राज्य के चयनित मार्गों पर करीब 30 कि०मी० पर बेसिक मार्गीय सुविधा मॉडल विकसित करने के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। दो बेसिक मार्गीय सुविधाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 30 कि०मी० होनी चाहिए। बेसिक मार्गीय सुविधा

न्यूनतम 7500 वर्गफुट भूमि पर स्थापित की जायेगी, जिसमें कम से कम 2800 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

(iv) **वर्त्तमान मार्गीय सुविधाओं का उन्नयनः**– राज्य के सभी राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों/चयनित मार्गों पर वर्त्तमान में स्थापित ढाबा, रेस्तरां, पेट्रोल पम्प इत्यादि को उन्नयन कर कम से कम स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा मॉडल की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम 0.50 एकड़ भूमि वाले वर्त्तमान मार्गीय सुविधाओं को वरीयता दी जायेगी।

- इन मॉडलों को कुल लागत का 50 प्रतिशत या क्रमशः 50 लाख, 35 लाख, 10 लाख एवं 20 लाख अधिकतम में से जो कम हो, अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।
- इन मार्गीय सुविधाओं के संचालक एवं कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, ताकि पर्यटकों को उच्च कोटि की सुविधाएँ एवं कर्मियों के रूप में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके।
- अलग–अलग मॉडल में अगले 3 (तीन) वर्षों में कुल 160 (एक सौ साठ) मार्गीय सुविधा को प्रोत्साहन देते हुए प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित है। आवश्यकता के अनुसार मार्गीय सुविधा की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। वृद्धि की दशा में यह अधिकतम 10% होगी।
- योजना को लागू करने के लिये पर्यटन विभाग द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की गयी है, जिसमें ले–आउट, मॉडल, डिजाईन, चयन प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें आदि सम्मिलित हैं।
- विकसित होने वाली मार्गीय सुविधा केन्द्रों को पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी एवं उन्हें पर्यटन विभाग तथा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० का 'लोगो' अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।
- मार्गीय सुविधा के विकास हेतु प्राप्त होनेवाले प्रस्तावों का निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों के अनुसार परीक्षण तथा अनुशंसा प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी।

2. इस योजना के अंतर्गत 3,200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करने और क्षमता का निर्माण करने के लिए मार्गीय सुविधा संचालक पर्यटन विभाग से सम्पर्क कर विभागीय प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IHM हाजीपुर, बोधगया और अन्य के माध्यम से कर्मचारियों तथा प्रबंधन को खाद्य उत्पादन/कुक, वेटर, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस/रिसेप्शनिस्ट इत्यादि एवं भाषा पाठयक्रम और उद्यमी विकास कार्यक्रम आदि में प्रशिक्षण प्रदान करायेगा। इस योजना के तहत 3200 प्रशिक्षणार्थियों को औसतन 15,000 रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण दिया जायेगा। चिन्हित क्षेत्रों के तहत मार्गीय सुविधा कर्मचारियों और प्रबंधन को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग द्वारा मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक कैलेंडर तैयार किया जायेगा।

3. इस योजना पर होने वाले व्यय का भार वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्य शीर्ष –3452–पर्यटन, उपमुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–104 संवर्धन तथा प्रचार, उप शीर्ष–0103 पर्यटकीय विकास, विपत्र कोड– 46–3452801040103 के अन्तर्गत 33.01– सब्सिडी 1000.00 लाख रूपया कर्णांकित राशि से किया जायेगा।

4. इसके निमित्त विभागीय संलेख संख्या 1354 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा मंत्रिपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव को उपस्थापित किया गया, जिस पर दिनांक 02.06.2022 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या 10 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु मार्गीय सुविधा (Wayside Amenities- WSA) आदि के उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना 2022 की स्वीकृति हेतु यह संकल्प निर्गत किया जाता है।

**आदेश** :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण) 388-571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**